□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4373

20 □□□, 2020 □□ □□□□□□□□□प्रश्न □□ □त्त□

□द्य □□□क्ष□ प्र□□□□□□□□

4373. श्री भतृहरि महताबः

क्या स्वास्थ्य और परिवार □ल□□ □त्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) देश के खाद्य पदार्थों म ट्रांस-फैट को प्रभावी रूप से पहचान/जांच करने वाली खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषकर पंजाब, तमिलनाडु और राजस्थान म कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित को गई ह/स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त प्रयोगशालाएं कब तक स्थापित किए जाने को संभावना है?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री (श्री □श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क): भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वतमान म देश म 111 खाद्य प्रयोगशालाएं खाद्य-पदार्थों म ट्रांस-फैट को मात्रा का पता लगा सकती ह या इसको जांच कर सकती ह। इन खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक-I म दिया गया है।

(ख) से (ग): राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसएफटीएल) तत्संबंधी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र को सरकारों द्वारा स्थापित को जाती ह। तथापि, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण वष 2016-17 से 'मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित देश म खाद्य परीक्षण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण' हेतु कद्रीय क्षेत्र को स्कोम को कायान्वित कर रहा है। इस स्कोम के तहत, 29 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 39 एसएफटीएल को उन्नयन के लिए चुना गया है। इसम पंजाब (खरर) म एक, तमिलनाडु (चेन्नै और मदुरै) म दो और राजस्थान (जयपुर, जोधपुर और उदयपुर) म तीन एसएफटीएल का उन्नयन शामिल है।

इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई देश म खाद्य परीक्षण को गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 को धारा 143(1) और इस अधिनियम के तहत बने नियमों और विनियमों के तहत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता देता है और अधिसूचित करता है। विगत तीन वर्षों अथात 2017-18, 2018-19, 2019-20 (अभी तक) के दौरान धारा 43(1) के तहत 68 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई है और अधिसूचित किया गया है। इन प्रयोगशालाओं का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक-II म दिया गया है।

[illegible]ग[illegible]-I

[illegible]द्य [illegible]त[illegible]ों म ट्रांस-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य/ [illegible] [illegible]ज[illegible] क्षेत्र[illegible] ब[illegible]

क्र.[illegible]	[illegible]ज[illegible]/ [illegible] राज्य क्षेत्र	प्रयोगशालाओं को संख्या
1	आंध्र प्रदेश	03
2	दिल्ली	16
3	गुजरात	05
4	हरियाणा	12
5	हिमाचल प्रदेश	01
6	कनाटक	06
7	केरल	07
8	महाराष्ट्र	23
9	पंजाब	01
10	राजस्थान	02
11	तमिलनाडु	20
12	तेलंगाना	04
13	उत्तर प्रदेश	05
14	उत्तराखंड	01
15	पश्चिम बंगाल	05
	कुल	111

□□□ग□□-II

□□□□ □□□ □□ीं (01 □प्रै□, 2017 □□□□□ □□) □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ द्व□□□ □□□□□□□ □ो □□ □□ □□न□ को गई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य/ □□□ □□ज□ क्षेत्र□□□ ब□□□□

क्र.□□	□□ज□/ □□□ □□ज□ क्षेत्र	प्रयोगशालाओं □ो □ख□□
1.	आंध्र प्रदेश	05
2.	दिल्ली	08
3.	गुजरात	07
4.	हरियाणा	03
5.	जम्मू और कश्मीर	01
6.	झारखंड	01
7.	कनाटक	02
8.	केरल	09
9.	मध्य प्रदेश	03
10.	महाराष्ट्र	09
11.	राजस्थान	02
12.	तमिलनाडु	04
13.	तेलंगाना	04
14.	त्रिपुरा	01
15.	उत्तर प्रदेश	04
16.	पश्चिम बंगाल	05
	कुल	68

*****